न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : अश्विन के. पंवार (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील 29/2023

अपीलार्थी– **बनाम** **उत्तरदातागण–**

1. देवीलाल पुत्र शिवाराम
   जाति ब्राहमण, निवासी
   गिड़ा तहसील गिड़ा जिला
   बालोतरा

1. तहसीलदार, गिड़ा

राजस्व अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्व आदेश दिनाक 25.04.2023 जो राजस्व आवेदन सख्या 02/2023 अर्न्तगत धारा 91 राजस्व भू– राजस्व अधिनियम मे अपीलान्ट को खसरा न. 588/166 व 315 रकबा 16.00 बीगा किस्म गै. मु. पड़त मौजा गिड़ा तहसील गिड़ा से बेदखल करने बाबत पारित किया।

उपस्थिति :–
1. वकील श्री नरपत पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय पैरोकार तहसीलदार गिड़ा रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

निर्णय

दिनांक : – 11/10/2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित निर्णय अनुसार मौजा गिड़ा के खसरा न. 588/116 व 315 रकबा 16.00 बीगा किस्म गै.मु. पड़त मे गैरसायल ने संवत 2080 मे सीणे रोप कर तारबदी कर कब्जा किया गया है जिसके आधार पर अपीलान्ट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को राजस्व भू – राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर भुमि से बेदखल करने तथा वार्षिक भू–राजस्व लगान 1.92 का 50 गुणा राशि रु 100/-- अक्षरे एक सौ रुपये मात्र बतौर जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट ने एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2023 को निरस्त कर अपीलान्ट के विरुद्ध जारी बेदखली व जुर्माने के आदेश को अपास्त करने व अपीलान्ट के नाम भुमि का आवंटन नियमन करने की अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस एवं राजकीय पैरोकार तहसीलदार गिड़ा स्वयं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटस ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि मातहत अदालत द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी अपीलांटस के कदीमी कब्जे काश्त की सेटलमेंट के समय की भूमि है जहां पर अपीलांटस व अपीलांट के पिताजी का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का 40 वर्ष से अपने पिताजी के समय का रहवासीय ढाणी, टांका, पशु बाड़ा तथा मंदिर इत्यादि बने हुऐ है, जिससे अपीलांटस की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूलवश उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन दर्ज हो गई जिस कारण उतरदाता तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध उक्त भूमि बाबत हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज कर उक्त भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का पीढियों से कब्जा काश्त है, अपीलांटस ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। वास्तव में अपीलाधीन आराजी कभी भी पड़त के उपयोग में नहीं आई है। रेस्पोडेंटस केवल मात्र राजनितिक दबाब के कारण अपीलांटस को उसकी पुश्तैनी कृषि भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है। अपीलांटस गरीब व्यक्ति है जिसके पास अपने परिवार के पालन पोषण के लिये उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि काश्त करने के लिये उपलब्ध नहीं है तथा उक्त अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटस का पीढियों से निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है जो धारा 91 के पुराने नोटिसों तथा जुर्माना जमा करवाने की रसीदो से प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित जाकर पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस राजकीय पैरोकार ने अपील पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का गिड़ा द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध अपीलाधीन आराजी पर सीणें रोपकर तारबंदी कर अपीलांटस द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लेने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलांटस के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांटस को बेदखली व जुर्माना की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित किया गया। मातहत अदालत ने अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। विगत काफी समय से लगातार कब्जा होने मात्र से अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर काबिज रहने के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का कोई कब्जा काश्त एवं रहवास नहीं है। राजकीय भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर आवंटन/नियमन आदि तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। नियमन हेतु एक पृथक प्रक्रिया/प्रावधान है जिसमें आवंटन श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के स्तर से होता है। वर्तमान में अपीलाधीन आराजी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर के आदेश क्रमांक-प.

आतेरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर के आदेश क्रमांक–प. 12(3)(139)राज/2023/4163 दिनांक 04.08.2023 के तहत राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित कर दी गई है। अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया गया। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं थी अर्सा करीब 10 रोज पूर्व जब हल्का पटवारी ने मौका पर से कब्जा हटाने का समाचार करवाया तब जानकारी करने पर उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई जानकारी होने पर आदेश की नकले अपीलांटस द्वारा दिनांक 26.06.2023 को मांगी जो उसी दिन तैयार होकर अपीलांटस को प्राप्त हुई जिसको पढवाने से अपीलकर्ता को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2017(2) Page 1104
RRT 2018(1) SC Page 601

राजकीय पैरोकार ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित होने की दिनांक से ही अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी, उसके बावजूद भी हस्तगत अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उभयपक्षकारान की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं गंभीरतापूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मन पर सम्यक तामील भी नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा CPC अनुसार अपीलांट को सुनवाई का समुचित समय/अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा CPC अनुसार अपीलांट को जबाव पेश करने का अवसर नहीं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

न्यायालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

इस तथ्य को अपील की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात संवत 2045 से अपीलांटस एवं उसके पूर्वजों का आज दिनांक तक की जुर्माना कायमी रसीदे धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को पेश किया गया जिससे स्पष्ट साबित होता है। राज पैरोकार द्वारा अपने जबाव में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अपीलाधीन आराजी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर के आदेश क्रमांक – प.12(3)(139)राज /2023/4163 दिनांक 04.08.2023 के तहत राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित कर दी गई है, जो अपील के विचारण के दौरान एवं जमीन अपीलांट के कब्जे काश्त में रहते उपरोक्त कार्यवाही की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत एवं विधि की मंशा के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश आनन–फानन में जल्दबाजी में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन अध्ययन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपीले स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत तहसीलदार गिड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 02/2023 बअनवान राजस्थान सरकार बनाम देवीलाल वगै. में पारित आदेश दिनांक 25.04.2023 को अपास्त/खारिज किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही नियमानुसार नियमन का प्रकरण पाया जाने पर राजस्थान (भू--राजस्व) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत सक्षम समिति के समक्ष पेश किया जावें। रेस्पोडेंटस को पाबंद किया जाता है कि प्रकरण का गुणावगुण पर विधि सम्मत निस्तारण किया जाये तब तक अपीलांटस को मौके से बेदखल नहीं किया जावे।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(अश्विन के. पंवार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 11/10/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और दर्ज नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा